रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-18082026-275543
CG-DL-W-18082026-275543

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 27] नई दिल्ली, अगस्त 2—अगस्त 8, 2026, शनिवार/ श्रावण 11—श्रावण 17, 1948
No. 27] NEW DELHI, AUGUST 2— AUGUST 8, 2026, SATURDAY/SHRAVAN 11— SHRAVAN 17, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय
(स्वापक नियंत्रण ब्यूरो)

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 139.— राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में सिस्टम एनालिस्ट (हार्डवेयर और नेटवर्किंग) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिस्टम एनालिस्ट (हार्डवेयर और नेटवर्किंग), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, गृह मंत्रालय, समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता, आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे से संबंधित बातें वे होगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्ति के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ो वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन अथवा अचयन पद।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के लिए आयु सीमा**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
सिस्टम एनालिस्ट (हार्डवेयर और नेटवर्किंग)।	1 (वर्ष 2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता हैं।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 **रुपये**)।	चयन पद	लागू नहीं।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे हो या पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
लागू नहीं।	लागू नहीं।	पदोन्नति की दशा में दो वर्ष।	पदोन्नति द्वारा, जिसमें विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना।	किन परिस्थितिओं में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति द्वारा: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो **का विभागीय प्रोग्रामर (सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर)** जिसने वेतन **मैट्रिक्स** स्तर-8 (ग्रेड 47600-151100 **रुपये**) **में** चार वर्ष **की नियमित सेवा** पूरी की हो **और जिसने** सुसंगत **क्षेत्र में** स्वापक नियंत्रण ब्यूरो **द्वारा संचालित दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया है।** **टिप्पण**: **जहां** ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होनें अपनी अर्हता **या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है, पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा** हो**,** वहाँ **उनके** ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में **भी विचार किया जाएगा**, परंतु यह कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा से अधिक या दो वर्ष, उनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने **अपने** ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित **जिन्होंने** ऐसी अर्हता **या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, अग**ली **उच्च**ता श्रेणी **में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा** की **अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।** **प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)**: - **केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या** संघ राज्य क्षेत्र **प्रशासन या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के** वे **अधिकारी** जिन्होंने; (क) (i) **मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समान पद धारण** किया हुआ है; **या** (ii) **मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स** (53100-167800 **रुपये**) **में स्तर** -9 या उसके समकक्ष **पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद दो** वर्ष **की सेवा प्रदान की** हो; **या** (iii) **मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स** (47600-151100 **रुपये**) **में स्तर** -8 या उसके समकक्ष **पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद चार** वर्ष **की सेवा प्रदान** की हो; और (ख) **निम्नलिखित निर्धारित शैक्षिक** अर्हता **और अनुभव** प्राप्त किया हो: (i) **कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री**; अथवा (ii) **किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी**; अथवा (iii) **किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग या सूचना प्रौद्योगिकी या**	विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) में शामिल हैं: — 1. संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन या सदस्य- चेयरपर्सन; 2. अपर महानिदेशक या उप महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो- सदस्य; 3. संयुक्त सचिव या निदेशक, गृह मंत्रालय- सदस्य विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में शामिल हैं: — 1. महानिदेशक या अपर महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो- समकक्ष चेयरपर्सन; 2. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय- सदस्य; 3. उप महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो- सदस्य	पदोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

कंप्यूटर एप्लीकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन **में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी; तथा** (ग) **भारत सरकार या राज्य सरकार या** संघ राज्य क्षेत्र **के प्रशासन या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त निकायों या** सांविधिक **संगठनों** में **जिसमें यूनिक्स या विंडोज, नेटवर्किंग, नेटवर्क प्रोटोकॉल, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, नवीनतम रिलेशनल** डाटा **बेस मैनेजमेंट सिस्टम पर्यावरण और विकास उपकरण में इलेक्ट्रॉनिक** डाटा **प्रोसेसिंग कार्य का दो** वर्ष **का अनुभव** शामिल हो। **टिप्पण** 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे **विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की** सीधी पंक्ति **में हैं, प्रतिनियुक्ति** पर **नियुक्ति के लिए विचार** किए जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होंगे। **टिप्पण** 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (**अल्पकालिक** संविदा **सहित**), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है (**अल्पकालिक** संविदा **सहित**) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (**अल्पकालिक** संविदा **सहित**) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. I-12014/05/2024-एनसीबी-II]

वंदना चौधरी, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Narcotics Control Bureau)

New Delhi, the 28th July, 2026

G.S.R. 139.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of System Analyst (Hardware and Networking) in the Narcotics Control Bureau, under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau, System Analyst (Hardware and Networking), Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. — The number of the said post, its classification and level in the pay-matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. — The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. — No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
System Analyst (Hardware and Networking).	1 (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial.	Level-10 in the pay- matrix (Rs. 56100-177500).	Selection post.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotees.	By promotion, failing which by deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
By Promotion: The departmental Programmer (Information Technology Software) of Narcotics Control Bureau in level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) with four years of regular service in the grade and who have successfully completed the training of two weeks in the relevant field conducted by Narcotics Control Bureau. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of: — 1. Chairman or Member of the Union Public Service Commission - Chairperson; 2. Additional Director General or Deputy Director General, Narcotics Control Bureau - Member; 3. Joint Secretary or Director, Ministry of	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for promotion.

By Deputation (including short-term contract): - Officers under the Central Government or State Government or Union territory administrations or autonomous bodies or statutory organisation or public sector undertakings or recognised University or recognised research institutions; (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-9 in the pay matrix (Rs. 53100-167800) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with four years service rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed as under: (i) Master Degree in Computer Application or Computer Science; or (ii) Master of Technology in Computer Science or Computer Engineering or Computer Application from a recognised University or Institute; or (iii) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology or Computer Application or Electronics or Communication from a recognised University or Institute; and (c) two years experience of electronic data processing work from Government of India or State Government or Union territory administrations or Recognised research institutes or public sector undertakings or autonomous bodies or statutory organisations including experience of actual programming having worked in UNIX or WINDOWS, Networking, Network protocol, Network Management systems, latest Relational Data Base Management Systems, environment and development tools. **Note 1:** The Departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation similarly; the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall be not exceeding three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years on the closing date of receipt of application.	Home Affairs - Member. Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of: — 1. Director General or Additional Director General, Narcotics Control Bureau - Chairperson; 2. Joint Secretary, Ministry of Home Affairs -Member; 3. Deputy Director General, Narcotics Control Bureau -Member.	

[F. No. I-12014/05/2024-NCB-II]

VANDANA CHAUDHARY, Dy. Secy.